

अध्याय 1: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

इस अध्याय में प्रत्यक्ष कर प्रशासन, प्रत्यक्ष कर संग्रहण में राजस्व प्रवृत्तियों तथा आयकर विभाग (आईटीडी) में कर प्रशासन प्रक्रिया का एक अवलोकन दिया गया है।

1.1 प्रत्यक्ष कर

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रत्यक्ष करों का उदग्रहण तथा संग्रहण शामिल है। इस रिपोर्ट में शामिल प्रत्यक्ष करों पर नीचे चर्चा की गई है:

क) निगम कर (सीटी): निगम कर उद्यमियों द्वारा अपने कारोबार से बनाई गई निवल आय या लाभ पर लगाया गया एक प्रत्यक्ष कर है। कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के अन्तर्गत भारत में पंजीकृत दोनों सार्वजनिक तथा निजी कंपनियां निगम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट दरों पर उद्ग्रहीत किया जाता है।

ख) आयकर (आईटी): आयकर कम्पनियों के अलावा व्यक्तियों पर उनकी आय या अभिलाभ से बनाई गई निवल आय या लाभ पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट दरों पर लगाया गया एक प्रत्यक्ष कर है।

ग) अन्य प्रत्यक्ष कर (ओडीटी): निगम कर तथा आयकर के अलावा प्रत्यक्ष कर, उदाहरणतः प्रतिभूति लेन देन कर (एसटीटी)², धन कर³, इत्यादि।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है तथा सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केन्द्रीय करों से संबंधित मामलों को केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत गठित दो सांविधिक बोर्डों नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) तथा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के माध्यम से समन्वय करता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रत्यक्ष करों के उदग्रहण तथा संग्रहण संबंधित मामलों को देखता है।


2 भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर।

3 निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 2(ईए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियां शामिल हैं।

31 मार्च 2020 तक, आयकर विभाग (आईटीडी) की समस्त स्टाफ संख्या तथा कार्यरत संख्या क्रमशः 76,241⁴ तथा 45,750 थी। अधिकारियों⁵ की संस्वीकृत तथा कार्यरत संख्या क्रमशः 10,858 तथा 9,333 थी। वर्ष 2019-20 के लिए आयकर विभाग का राजस्व व्यय ₹ 7,052 करोड़⁶ था।

सीबीडीटी का संगठनात्मक ढांचा नीचे चार्ट 1.1 में दिया गया है:

चार्ट 1.1: सीबीडीटी के क्षेत्रीय गठन का संगठनात्मक ढांचा



- 4 आंकड़ों में (i) ईडीपी, (ii) ओएल (राजभाषा) डिवीजन, (iii) रिजर्व, (iv) अन्य पद तथा (v) सेन्ट्रल पूल (दिल्ली सीसीए के तहत) के तहत आवंटित पदों की स्वीकृत संख्या शामिल नहीं है।
- 5 प्रि.सीसीआईटी/प्रि.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्रि. सीआईटी/प्रि.डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, एडिशनल सीआईटी/ एडिशनल डीआईटी/जेसीआईटी/जेडीआईटी/डीसीआईटी/ डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओ
- 6 वि.व. 2019-20 के संघ वित्त लेखे।

1.3 संघ सरकार के संसाधन

1.3.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके उद्धृत सभी ऋण, आंतरिक व बाहरी ऋण तथा ऋणों की अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। नीचे तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2019-20 तथा वि.व. 2018-19 के लिए संघ सरकार के संसाधनों के ब्यौरे को दर्शाती है।

तालिका 1.1 संघ सरकार के संसाधन	(₹ करोड़ में)	
	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19
क. कुल राजस्व प्राप्तियां #	25,98,761	25,67,917
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	10,50,686	11,37,718
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ⁷	9,59,374	9,42,747
iii. गैर-कर प्राप्तियाँ	5,88,328	4,86,389
iv. सहायता अनुदान और अंशदान	373	1,063
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियां ⁸	50,349	94,979
ग. ऋणों और अग्रिमों की वसूली ⁹	18,647	30,257
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां ¹⁰	73,01,387	67,58,482
भारत सरकार की प्राप्तियां (क + ख + ग + घ)	99,69,144	94,51,635

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे

नोट: प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों तथा अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की सगणना संघ वित्त लेखे से की गई है।

कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे सौंपे गए वि.व. 2019-20 में ₹ 6,50,677 करोड़ और वि.व. 2018-19 में ₹ 7,61,454 करोड़ शामिल हैं।

वि.व. 2019-20 में, भारत सरकार की प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि द्वारा हुई थी। वि.व. 2019-20 में प्रत्यक्ष कर कुल राजस्व प्राप्तियों का 40.4 प्रतिशत था जो पिछले वर्षों की प्राप्तियों की तुलना में 7.6 प्रतिशत कम था।

1.3.2 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

7 माल और सेवाओं पर लगाया गया अप्रत्यक्ष कर जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केन्द्रीय माल और सेवा कर, एकीकृत माल और सेवा कर आदि;

8 इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

9 संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;

10 भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधार;

तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन								
वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर संग्रहण (₹ करोड़ में)				प्रतिदाय (₹ करोड़ में)	निम्न द्वारा दायर वास्तविक रिटर्न (संख्या लाख में)		राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)
	निगम कर	आयकर	अन्य प्रत्यक्ष कर	कुल		गैर-निगमित निर्धारिती	निगमित निर्धारिती	
2015-16	4,53,228	2,80,390	8,394	7,42,012	1,22,596	398.0	6.9	4,689
2016-17	4,84,924	3,40,592	24,285	8,49,801	1,62,582	436.9	7.1	5,623
2017-18	5,71,202	4,08,202	23,334	10,02,738	1,51,835	537.9	8.0	6,172
2018-19	6,63,571	4,61,652	12,495	11,37,718	1,61,037	619.8	8.5	7,168
2019-20	5,56,876	4,80,348	13,462	10,50,686	1,83,431	639.4	8.4	7,052

स्रोत: संघ वित्त लेखा और प्र. सीसीए; सीबीडीटी

वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 7.6 प्रतिशत तक कमी के बावजूद, वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 के दौरान जारी किए प्रतिदायों में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.4 प्रत्यक्ष कर- प्रवृत्ति तथा संरचना

1.4.1 निम्न तालिका 1.3 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान सकल कर राजस्व¹¹ (जीटीआर) तथा एकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.3 प्रत्यक्ष करों की वृद्धि					
वित्तीय वर्ष	डीटी	जीटीआर	जीडीपी	जीटीआर के प्रतिशत के रूप में डीटी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में डीटी
(₹ करोड़ में)					
2015-16	7,42,012	14,55,891	1,35,76,086	51.0	5.5
2016-17	8,49,801	17,15,968	1,51,83,709	49.5	5.6
2017-18	10,02,738	19,19,183	1,67,73,145	52.2	6.0
2018-19	11,37,718	20,80,465	1,90,10,164	54.7	6.0
2019-20	10,50,686	20,10,060	2,03,39,849	52.3	5.2

स्रोत: डीटी तथा जीटीआर-केन्द्रीय वित्त लेखा, जीडीपी- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी- 31 मई 2020 को सीएसओ द्वारा जारी प्रेस नोट

1.4.2 यद्यपि डीटी में वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में 7.6 प्रतिशत तक कमी हुई, जीटीआर में प्रत्यक्ष करों के भाग में वि.व. 2018-19

11 इसमें सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं।

की तुलना में वि.व. 2019-20 में अल्प कमी (2.4 प्रतिशत) हुई थी। वि.व. 2017-18 तथा वि.व. 2018-19 में 6.0 प्रतिशत की तुलना में प्रत्यक्ष कर 2019-20 के दौरान जीडीपी का 5.2 प्रतिशत था।

1.4.3 निम्न तालिका 1.4 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष करों तथा इसके प्रमुख संघटकों जैसे निगम कर (सीटी) तथा आयकर (आईटी) में वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.4 प्रत्यक्ष करों और इसके प्रमुख घटकों की वृद्धि								
वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	निगम कर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	आयकर	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	जीडीपी	पिछले साल की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
(₹ करोड़ में)								
2015-16	7,42,012	6.6	4,53,228	5.7	2,80,390	8.5	1,35,76,086	8.3
2016-17	8,49,801	14.5	4,84,924	7.0	3,40,592	21.5	1,51,83,709	11.8
2017-18	10,02,738	18.0	5,71,202	17.8	4,08,202	19.9	1,67,73,145	10.5
2018-19	11,37,718	13.5	6,63,572	16.2	4,61,652	13.1	1,90,10,164	13.3
2019-20	10,50,686	(-) 7.6	5,56,876	(-) 16.1	4,80,348	4.0	2,03,39,849	7.0

स्रोत: संघ वित्त लेखे

1.4.4 निगम कर में वि.व. 2018-19 में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2019-20 में 16.1 प्रतिशत की कमी हुई थी, जबकि आयकर में वि.व. 2018-19 में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2019-20 में आयकर में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तुलना में, जीडीपी की वृद्धि 7.0 प्रतिशत थी।

1.4.5 निगम तथा आयकर दोनों के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न स्तर हैं जैसे स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्वनिर्धारण कर (एसएटी) और नियमित निर्धारण कर। टीडीएस, अग्रिम कर तथा स्व-निर्धारण कर के माध्यम से पूर्व निर्धारण-संग्रहण, प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन का सूचक है। नियमित निर्धारण स्तर के माध्यम से किया गया कर संग्रहण पश्च निर्धारण होता है।

1.4.6 निम्न तालिका 1.5 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान विभिन्न स्तरों के तहत निगम तथा आय कर के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.5 निगम और आयकर का संग्रहण								
वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व निर्धारण संग्रहण (का.2+3+4)	कुल पूर्व-निर्धारण संग्रहण की प्रतिशतता	नियमित निर्धारण कर	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रहण (का. 5+7+8)
(₹ करोड़ में)								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2015-16	2,87,412	3,52,899	54,860	6,95,171	81.2	63,814	96,940	8,55,925
2016-17	3,43,144	4,06,769	68,160	8,18,073	82.8	74,138	95,887	9,88,098
2017-18	3,80,641	4,70,242	83,219	9,34,102	82.6	92,044	1,05,093	11,31,239
2018-19	4,50,769	5,27,529	84,174	10,62,471	82.6	99,032	1,24,757	12,86,260
2019-20	4,80,383	4,67,315	85,099	10,32,797	84.6	67,620	1,20,233	12,20,650

स्रोत: प्र. सीसीए, सीबीडीटी

नोट:- अन्य प्राप्तियों में अधिभार तथा उपकर शामिल हैं। संग्रहण के आंकड़ों में प्रतिदाय भी शामिल है। वि.व. 2019-20 में संघ वित्त लेखाओं की तुलना में आयकर के संग्रहण में ₹ 5.0 करोड़ का अंतर है।

1.4.7 उपरोक्त तालिका 1.5 दर्शाती है कि निर्धारितियों द्वारा (पूर्व निर्धारण चरण) निगम तथा आयकर के कुल संग्रहण में वि.व. 2015-16 में 81.2 प्रतिशत के प्रति वि.व. 2019-20 में 84.6 प्रतिशत का स्वैच्छिक अनुपालन हुआ जबकि नियमित निर्धारण (पश्च निर्धारण) द्वारा संग्रहण जो वि.व. 2015-16 में कुल संग्रहण का 7.5 प्रतिशत था, घट कर वि.व. 2019-20 में 5.5 प्रतिशत हो गया।

1.4.8 निम्न तालिका 1.6 में आय की विभिन्न श्रेणियों में गैर-निगमित निर्धारितियों के विवरण दर्शाये गये हैं:-

तालिका 1.6 गैर-निगमित निर्धारिती						
वित्तीय वर्ष	क ¹²	ख ₁ ¹³	ख ₂ ¹⁴	ग ¹⁵	घ ¹⁶	कुल
(आंकड़े लाख में)						
2015-16	55.93	264.47	52.94	24.69	0.01	398.04
2016-17	54.17	290.16	61.85	30.69	0.02	436.89
2017-18	61.16	360.63	79.04	37.05	0.02	537.90
2018-19	68.08	403.35	103.36	44.96	0.03	619.78
2019-20	75.05	409.15	104.53	50.63	0.01	639.37

स्रोत: सीबीडीटी; ये आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान दाखिल वास्तविक रिटर्न पर आधारित हैं।

12 श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ दो लाख से कम आय/हानि वाले निर्धारण;


13 श्रेणी 'ख'₁ निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ दो लाख और उससे अधिक परंतु ₹ पांच लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण;

14 श्रेणी 'ख'₂ निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक; परंतु ₹ 10 लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण;

15 श्रेणी 'ग' निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण;

16 श्रेणी 'घ' निर्धारिती - तलाशी और जब्ती वाले निर्धारण;

गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या में वि.व. 2018-19 में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2019-20 में 3.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। जैसा कि उपरोक्त तालिका 1.6 तथा चार्ट 1.2 से देखा जा सकता है, वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 के दौरान श्रेणी 'क' तथा श्रेणी 'ग' में क्रमशः 10.2 प्रतिशत और 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, इन श्रेणियों में विगत वर्ष की तुलना में वि.व. 2018-19 के दौरान 11.3 प्रतिशत तथा 21.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान गैर-निगमित कर दाताओं में 60.6 प्रतिशत की वृद्धि थी जबकि इसी अवधि के दौरान गैर-निगमित करदाताओं से कर संग्रहण में 71.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, कर संग्रहण में वृद्धि गैर-निगमित करदाताओं की वृद्धि से ज्यादा थी।




1.4.9 निम्न तालिका 1.7 में आय की विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित निगमित निर्धारितियों के विवरण दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.7 निगमित निर्धारिती							
वित्तीय वर्ष	क ¹⁷	ख ₁ ¹⁸	ख ₂ ¹⁹	ग ²⁰	घ ²¹	कुल	₹ 25 लाख से अधिक की आय वाले निर्धारिती (आंकड़ें लाख में)
2015-16	3.08	1.59	0.50	1.71	0.00 [^]	6.88	0.76
2016-17	3.14	1.65	0.53	1.81	0.00 [#]	7.13	1.44
2017-18	3.57	1.85	0.58	1.99	0.00 ^{\$}	7.99	1.31
2018-19	3.66	2.00	0.61	2.19	0.00 [@]	8.46	1.45
2019-20	3.48	2.00	0.63	2.27	0.00 [*]	8.38	1.52

स्रोत: सीबीडीटी । यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान वास्तविक फाईल की गई रिटर्न के आधार पर हैं।

[^] 337 निर्धारिती, # 134 निर्धारिती, \$ 195 निर्धारिती, @ 146 निर्धारिती, *223 निर्धारिती

निगमित निर्धारितियों की संख्या में वि.व. 2018-19 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2019-20 में 0.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान निगमित करदाताओं में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि थी जबकि इसी अवधि के दौरान निगमित करदाताओं से कर संग्रहण में 22.9 प्रतिशत की वृद्धि थी। इस प्रकार, कर संग्रहण में वृद्धि निगमित करदाताओं में वृद्धि से अधिक थी।



17 श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ 50,000 से कम आय/हानि वाले निर्धारण;

18 श्रेणी 'ख'₁ निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ 50,000 और उससे अधिक परंतु ₹ पांच लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण;

19 श्रेणी 'ख'₂ निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक; परंतु ₹ 10 लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण;

20 श्रेणी 'ग' निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण;

21 श्रेणी 'घ' निर्धारिती - तलाशी और जब्ती वाले निर्धारण;

1.5 प्रतिदायों की प्रवृत्ति

जब देय कर राशि से अधिक कर राशि अदा की जाती है, निर्धारिती अधिक राशि के प्रतिदाय का हकदार होता है। आयकर विभाग समय-समय पर निर्धारितियों को यह प्रतिदाय जारी करता है। नीचे तालिका 1.8 में वि.व. 2016-17 से वि.व. 2019-20 के दौरान निगम कर और आयकर के संबंध में किये गये प्रतिदाय की तिमाही प्रवृत्ति और राजस्व संग्रहण को दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: प्रतिदाय की तिमाही प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)							
वि.व.	तिमाही समाप्त	निगम कर			आयकर		
		सकल संग्रहण	प्रतिदाय	संग्रहण के संदर्भ में प्रतिदाय की प्रतिशतता	सकल संग्रहण	प्रतिदाय	संग्रहण के संदर्भ में प्रतिदाय की प्रतिशतता
2016-17	जून 2016	1,05,330	51,320	48.7	74,081	7,257	9.8
	सितंबर 2016	1,49,278	16,499	11.1	90,935	13,526	14.9
	दिसंबर 2016	1,57,724	24,232	15.4	93,954	13,946	14.8
	मार्च 2017	1,93,273	28,630	14.8	1,23,523	7,172	5.8
	कुल	6,05,605	1,20,681	19.9	3,82,493	41,901	11.0
2017-18	जून 2017	1,11,789	44,530	39.8	87,685	11,269	12.9
	सितंबर 2017	1,56,759	16,113	10.3	99,112	7,682	7.8
	दिसंबर 2017	1,84,392	17,180	9.3	1,09,388	14,915	13.6
	मार्च 2018	2,27,400	31,315	13.8	1,54,714	8,831	5.7
	कुल	6,80,340	1,09,138	16.0	4,50,899	42,697	9.5
2018-19	जून 2018	1,27,468	61,078	47.9	98,049	12,834	13.1
	सितंबर 2018	1,90,200	12,848	6.8	1,27,210	16,823	13.2
	दिसंबर 2018	1,94,177	10,468	5.4	1,21,069	16,503	13.6
	मार्च 2019	2,57,554	21,434	8.3	1,70,533	9,049	5.3
	कुल	7,69,399	1,05,828	13.8	5,16,861	55,209	10.7
2019-20	जून 2019	70,435	64,894	92.1	92,449	11,209	12.1
	सितंबर 2019	1,78,463	17,404	9.8	1,11,951	17,481	15.6
	दिसंबर 2019	1,20,124	28,009	23.3	98,494	30,792	31.3
	मार्च 2020	1,87,853	11,235	6.0	1,77,449	2,407	1.4
	कुल	5,56,876	1,21,542	21.8	4,80,343	61,889	12.9

स्रोत: प्र. सीसीए, सीबीडीटी

उपरोक्त तालिका 1.8 से यह देखा जा सकता है कि विगत वर्षों के संग्रहण में से वि.व. 2016-17, वि.व. 2017-18 और वि.व. 2018-19 की पहली तिमाहियों के दौरान निगम कर के सकल संग्रहण का क्रमशः 48.7 प्रतिशत,

39.8 प्रतिशत, 47.9 प्रतिशत और 92.1 प्रतिशत उक्त तिमाही के दौरान प्रतिदाय कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, विगत वर्षों के संग्रहण में से वि.व. 2016-17, वि.व. 2017-18, वि.व. 2018-19 और वि.व. 2019-20 की पहली तिमाहियों के दौरान निगम कर की कुल प्रतिदाय राशि का क्रमशः 42.5 प्रतिशत, 40.8 प्रतिशत, 57.7 प्रतिशत और 53.4 प्रतिशत का प्रतिदाय कर दिया गया। यह भी देखा गया है कि सकल संग्रहण की प्रतिशतता के रूप में प्रतिदाय आयकर की तुलना में निगम कर के मामले में अधिक हैं।

1.6 कर प्रशासन प्रक्रिया

आयकर विभाग में कर प्रशासन प्रक्रिया में स्थायी लेखा संख्या (पैन) का आवंटन; आयकर रिटर्न फाइल करना (आईटीआर), आईटीआर की प्रोसेसिंग, आईटीआर की संवीक्षा, भूलों का सुधार, निर्धारण से छूट गयी आय, निर्धारण आदेशों का संशोधन, अपील प्रक्रिया, प्रतिदाय का निर्धारण, मांग उठाना, कर संग्रहण, शास्ति तथा अभियोजन इत्यादि शामिल है। निम्न तालिका 1.9 आयकर विभाग में शामिल प्रक्रियाओं का विवरण प्रदान करती है। परिशिष्ट 1.1 में प्रवाह चार्ट इन प्रक्रियाओं को दर्शाता है।

तालिका 1.9 कर प्रशासन प्रक्रिया	
स्थायी लेखा संख्या (पैन)	प्रत्येक व्यक्ति ²² जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139क के प्रावधानों के तहत आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना आवश्यक है, और उसे स्थायी लेखा संख्या आवंटित नहीं की गई है ऐसे समय के भीतर जैसा कि निर्धारित किया जाए, पैन के आवंटन के लिए आयकर विभाग में आवेदन करेंगे।
आय के रिटर्न	अधिनियम की धारा के तहत 139, प्रत्येक व्यक्ति यदि उसकी कुल आय, या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके संबंध में वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत प्रभार्य है, अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है, पिछले वर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की एक विवरणी निर्धारित समय सीमा के भीतर तथा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा तथा निर्धारित तरीके से सत्यापित करेगा और ऐसे अन्य विवरण प्रस्तुत करेगा जो निर्धारित किया जाए। सीबीडीटी ने विभिन्न श्रेणियों के निर्धारितियों के लिए आईटीआर के विभिन्न फॉर्मों को निर्धारित किया है। निर्धारितियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आय के रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है (आयकर नियमावली, 1962 के नियम 12(3))।
संक्षिप्त प्रसंस्करण {धारा 143(1), 143(1ए),	संक्षिप्त प्रसंस्करण के तहत, आईटीआर की अंकगणितीय परिशुद्धता, आंतरिक अनुरूपता इत्यादि के लिए जांच की जाती है। इसके अलावा, फार्म 26 एएस या फार्म 16ए या फार्म 16 में दर्शाई गई आय को भी जोड़ा जाता है, जिसे रिटर्न में कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है।

22 कंपनी, फर्म, व्यक्ति, एचयूएफ, ट्रस्ट, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों का निकाय, सहकारी समितियां, स्थानीय प्राधिकरण, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सरकारी एजेंसी।

143(1बी)}	संक्षिप्त प्रसंस्करण आईटीआर में उपलब्ध डेटा के साथ तथा निर्धारिती से रिकार्ड और जानकारी मांगे बिना होता है। इस प्रकार, कर संक्षिप्त प्रसंस्करण प्रकृति में अंतर्वेधी है। प्रसंस्करण के पश्चात, यदि निर्धारिती से कोई मांग देय है, उसे मांग नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है। कर के अधिक भुगतान के मामले में, कुछ अपवादात्मक मामलों के अलावा, जहां रिफंड की अनुमति मैन्युअल मोड में दी जाती है, रिफंड बैंकर योजना के माध्यम से रिफंड जारी किया जाता है।
संवीक्षा निर्धारण	निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए आय कर रिटर्न को कम्प्यूटर एडिड संवीक्षा चयन (सीएएसएस) द्वारा विस्तृत संवीक्षा के लिए चयनित किया जाता है। कुछ मामलों का चयन सीबीडीटी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा मैन्युअली किया जाता है। अधिनियम में दो प्रकार के नियमित संवीक्षा निर्धारणों का प्रावधान है: (क) धारा 143 (3) के तहत निर्धारण जिसे निर्धारिती को अवसर प्रदान करने तथा रिकॉर्ड में निर्धारिती के सभी सुसंगत तथ्य तथा उत्तर लेने के बाद बनाया जाता है। (ख) धारा 144 (सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण) के तहत निर्धारण बनाया जाता है, जब, नोटिस के बावजूद, निर्धारिती उत्तर नहीं देता है तथा एक उत्तर फाइल करने के अवसर छोड़ता है। उपरोक्त के साथ-साथ, संवीक्षा ब्लॉक निर्धारण तलाशी के मामलों में (धारा 153ए/153सी) किए जाते हैं। संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी (एओ) आयकर विभाग के पास उपलब्ध निर्धारितियों से संबंधित सभी रिकार्ड तथा जानकारी प्राप्त करता है तथा इसके साथ स्वयं की संतुष्टि के लिए निर्धारिती से रिकॉर्ड तथा जानकारी मंगवाता है कि कोई आय बेहिसाबी नहीं है तथा कर की ठीक प्रकार से गणना की गई है। अधिनियम नोटिस जारी करने के लिए तथा निर्धारण कार्यवाही के समापन की समय सीमा निर्धारित करता है। एओ निर्धारण कार्यवाही को अंतिम रूप देता है।
भूल सुधार	अधिनियम में स्वतः या निर्धारिती के अनुरोध पर निर्धारण आदेशों के बाद के सुधार का भी प्रावधान है (धारा 154)।
निर्धारण से छूट गयी आय	यदि एओ के पास विश्वास के लिए वजह है कि कोई कर को प्रभार्य आय किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है, वह ऐसी आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है तथा कोई अन्य कर को प्रभार्य आय जो अधिनियम के प्रावधानों (धारा 147) के प्रावधानों के अधीन पुनर्निर्धारण के दौरान में बाद में उसकी जानकारी में आता है।
आदेशों का संशोधन	आयकर मुख्य आयुक्त धारा 263/264 के तहत एक निर्धारण आदेश में संशोधन कर सकता है यदि उसका यह मानना है कि एओ द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दिया गया कोई आदेश गलत है।
कर कटौती तथा संग्रहण लेखा संख्या (टीएएन)	टीएएन या कर कटौती तथा संग्रहण लेखा संख्या एक 10 अंको की अक्षारांकीय संख्या है जिसे सभी व्यक्तियों, जो कर कटौती या संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं, के द्वारा अधिनियम की धारा 203(ए) के तहत प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
पूर्व-निर्धारण संग्रहण	प्रत्येक निर्धारिती से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी कर देयता के निर्धारण तथा अग्रिम कर (धारा 207) तथा स्वयं-निर्धारण कर (धारा 140ए)

के भुगतान की कानूनी रूप से अपेक्षा की जाती है। कानून में व्यक्तियों या निगमों आदि को किए गए भुगतान की कुछ प्रतिशतता की कटौती के लिए तथा सरकार के लेखा में उसे जमा कराने के लिए भी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों (टीडीएस कटौतीकर्ता) में कतिपय भुगतानकर्ता प्राधिकारियों से अपेक्षा करती है। स्रोत पर कर की संग्रह (टीसीएस) करने वाले प्राधिकारी नामक नामित प्राधिकारी के माध्यम से कर एकत्र करने का एक अन्य तरीका है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों से कुछ अनुबंधों/पट्टों पर अधिकार देकर कुछ व्यक्तियों/निगमों से कर इकट्ठा करते हैं। इन चार तंत्रों - अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, टीडीएस तथा टीसीएस के माध्यम से आय कर का संग्रहण कर संग्रहणों का पूर्व-निर्धारण माध्यम कहा जाता है।

अपील प्रक्रिया एक व्यथित निर्धारिती एओ के आदेश के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है जो अपीलीय आदेश में दिए गए सभी आदेशों का पालन करेगा। आगे, अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध आय कर अपीलीय अधिकरण को तथ्य तथा कानून के प्रश्न पर अपील की भी अनुमति है। धारा 260ए के तहत उच्च न्यायालय को अपील की जा सकती है यदि अपीलीय अधिकरण द्वारा किसी मामले पर विचार नहीं किया गया है या गलत विचार किया गया है तथा किसी ऐसे मामले में धारा 261 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भी भेजा जा सकता है जिसे उच्च न्यायालय उसे अपील के लिए सही मामला प्रमाणित करता है।

प्रतिदाय जहां कर की भुगतान की गई राशि देय कर की राशि से अधिक है, निर्धारिती अधिक राशि के प्रतिदाय के लिए हकदार है। ऐसे प्रतिदाय की राशि पर निर्धारित दर पर साधारण ब्याज देय है। अपील या अन्य कार्यवाही में पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप ब्याज के साथ प्रतिदाय भी स्वीकार्य है।

बकाया कर की वसूली एओ से मांग की प्राप्ति पर, निर्धारिती को 30 दिनों या एओ द्वारा निर्धारित किसी अन्य समय सीमा में भुगतान करना आवश्यक है। यदि मांग के उठाए जाने के एक वर्ष के अन्दर वसूली नहीं की जाती है, तो एओ को मांग की वसूली के लिए उठाए गए सभी संभव उपाय सुनिश्चित करने के पश्चात कर वसूली प्रमाण पत्र (टीआरसी) को बनाने के लिए कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) को बकाया मामलों के विवरण भेजना आवश्यक है।

शास्ति तथा अभियोजन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा उल्लंघन के लिए निवारक प्रभाव के संबंध में, अधिनियम में शास्ति के आरोपण तथा अभियोजन शुरू करने के लिए व्यापक प्रक्रिया का प्रावधान है। कई शास्तिक प्रावधानों में उद्ग्रहण विवेकाधीन स्वरूप वाला हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे छोड़ा जा सकता है।

1.7 प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग

1.7.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) शामिल होती हैं। बजट अनुमानों की तदनुरूपी वास्तविक से तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविकता अप्रत्याशित और यादृच्छिक

रूप से बाह्य घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं या महत्वपूर्ण मापदण्डों के बारे अवास्तविक धारणाओं के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकती है।

1.7.2 निम्न तालिका 1.10 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष करों के बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) तथा वास्तविक संग्रहण के ब्यौरे दर्शाती है।

तालिका 1.10: प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रहण की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान							
वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक माइनस बजट अनुमान	वास्तविक माइनस संशोधित अनुमान	बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में अंतर	संशोधित अनुमानों के प्रतिशत के रूप में अंतर
							(₹ करोड़ में)
2015-16	7,97,995	7,52,021	7,42,012	(-) 55,983	(-) 10,009	(-) 7.0	(-) 1.3
2016-17	8,47,097	8,47,097	8,49,801	2,704	2,704	0.3	0.3
2017-18	9,80,000	10,05,000	10,02,738	22,738	(-) 2,262	2.3	(-) 0.2
2018-19	11,50,000	12,00,000	11,37,718	(-) 12,282	(-) 62,282	(-) 1.1	(-) 5.2
2019-20	13,35,000	11,70,000	10,50,686	(-) 2,84,314	(-) 1,19,314	(-) 21.3	(-) 10.2

स्रोत: बीई और आरई आंकड़े संबंधित प्राप्त बजट और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार हैं।

1.7.3 संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक संग्रहण के बीच भिन्नता वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 की अवधि के दौरान संशोधित अनुमानों के (-) 10.2 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत के बीच थी। संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक के बीच भिन्नता वि.व. 2015-16 से 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में अधिक थी।

1.8 कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव

1.8.1 किसी कर कानून तथा इसके प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों के वित्तपोषण के प्रयोजन हेतु राजस्वों को बढ़ाना है। सृजित राजस्व प्राथमिक रूप से कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर करता है। इन दो कारकों के निर्धारक उपायों की श्रेणी है जिसमें विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, रियायतें, आस्थगित अदायगी और क्रेडिट शामिल है। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर प्रोत्साहन या कर प्राथमिकता' कहा जाता है। इन्हें कर व्यय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

1.8.2 आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम), अन्य विषयों के साथ-साथ, निर्यात संवर्धन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, रोजगार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक शोध और विकास, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा व्यक्तियों द्वारा बचत को बढ़ाना तथा धर्मार्थ दान हेतु कर

प्रोत्साहनों का प्रावधान करता है। इनमें से अधिकतर कर लाभों को निगमित और गैर-निगमित दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

1.8.3 संघ प्राप्ति बजट इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई रिटर्न के आधार पर निगमित करदाताओं और गैर निगमित करदाताओं पर प्रमुख प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के विवरण को दर्शाता है। निम्न तालिका 1.11 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान प्रमुख कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 1.11: कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव					
वित्तीय वर्ष	कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव	प्रतिशत के रूप में राजस्व प्रभाव			
		जीडीपी	प्रत्यक्ष कर	सकल कर प्राप्तियां	
					(₹ करोड़ में)
2015-16	1,38,658	1.0	18.7		9.5
2016-17	1,55,840	1.0	18.3		9.1
2017-18	1,83,580	1.1	18.3		9.6
2018-19	2,06,113	1.1	18.1		9.9
2019-20	2,30,415	1.2	21.9		11.4

स्रोत: संबंधित प्राप्ति बजट।

नोट: कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़ें वि.व. 2019-20 (अनुमानित) को छोड़कर वास्तविक हैं। इनमें धर्मार्थ संस्थान शामिल नहीं हैं। तथापि, धर्मार्थ संस्थानों द्वारा 30 नवंबर 2019 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई 1,98,806 रिटर्न के संबंध में ₹ 5,29,126 करोड़ प्रयोग किये गये थे।

वि.व. 2020-21 के प्राप्ति बजट में बताए अनुसार 34.6 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के प्रति वि.व. 2018-19 के लिए निगम कर की प्रभावी दर 27.8 प्रतिशत थी।

1.8.4 वि.व. 2019-20 में निगमित और गैर-निगमित निर्धारितियों को दिये गये मुख्य कर प्रोत्साहन धारा 80सी के अन्तर्गत कतिपय निवेशों और भुगतानों (₹ 71,965 करोड़), धारा 32 के अंतर्गत तीव्र मूल्यहास कटौतियों (₹ 56,586 करोड़), धारा 10ए के अंतर्गत एसईजेड इकाईयों के निर्यात लाभ की कटौतियां (₹ 24,301 करोड़), धारा 80-आईए के तहत ऊर्जा के उत्पादन/संचरण एवं वितरण में उपक्रमों में कटौतियां (₹ 14,468 करोड़), धारा 35(1)(2ए) और (2एबी) के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौतियां (₹ 8,319 करोड़) थीं। वि.व. 2018-19 (वि.व. 2017-18 में 29.49 प्रतिशत) में कम्पनियों²³ के लिए प्रभावी कर दर (ईटीआर) औसत 34.58 प्रतिशत की सांविधिक दर की तुलना में 27.81 प्रतिशत थी।

23 स्रोत: प्राप्ति बजट 2021-22

1.8.5 कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में वि.व. 2015-16 में ₹ 1,38,658 करोड़ से वि.व. 2019-20 में ₹ 2,30,415 करोड़ तक 66.2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। यद्यपि, वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में कर प्रोत्साहन में वास्तव में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तथापि डीटी तथा जीटीआर में कर प्रोत्साहनो के राजस्व प्रभाव के भाग में वृद्धि क्रमशः 3.8 प्रतिशत तथा 1.5 प्रतिशत थी। कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव वि.व. 2018-19 तथा वि.व. 2017-18 में 1.1 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 2019-20 के दौरान जीडीपी का 1.2 प्रतिशत था।

1.9 कर ऋण-असंग्रहित मांग

1.9.1 वि.व. 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान लंबित मांग के बकाया की प्रवृत्ति नीचे तालिका 1.12 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.12: मांग का बकाया						
वित्तीय वर्ष	पिछले वर्ष की बकाया मांग	चालू वर्ष की बकाया मांग	कुल बकाया मांग	वसूली हेतु दुष्कर मांग#	वसूली के लिए मुश्किल मांग (प्रतिशत में)	शुद्ध संग्रहणीय मांग
						(₹ करोड़ में)
2015-16	6,67,855	1,56,356	8,24,211	8,02,256	97.34	21,955
2016-17	7,33,229	3,11,459	10,44,688	10,29,725	98.57	14,963
2017-18	7,36,975	3,77,207	11,14,182	10,94,023	98.19	20,159
2018-19	9,46,190	2,87,888	12,34,078	12,19,485	98.82	14,593
2019-20	11,25,314	4,93,640	16,18,954	15,80,220	97.61	38,734

स्रोत: आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं), संबंधित वि.व. के मार्च माह हेतु मांग एवं संग्रहण रिपोर्ट (सीएपी-1)
इसमें चालू वर्ष की मांग भी शामिल है।

1.9.2 यद्यपि वि.व. 2019-20 में मांग की कुल बकाया में वि.व. 2018-19 (₹ 12,34,078 करोड़) की तुलना में 31.2 प्रतिशत की वृद्धि से ₹ 16,18,954 करोड़ थी, हालांकि 'वसूली हेतु दुष्कर' के रूप में वर्गीकृत मांग में निवल संग्रहणीय मांग में वृद्धि के कारण वि.व. 2018-19 में 98.8 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 2019-20 में मांग के कुल बकाया में 97.6 प्रतिशत तक सीमांत रूप से कमी आई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि संबंधित वित्तीय वर्ष के मार्च माह के लिए आयकर विभाग द्वारा तैयार की गयी मांग एवं संग्रहण रिपोर्ट में विभिन्न कारकों अर्थात् वसूली हेतु कोई परिसम्पत्ति नहीं/अपर्याप्त परिसम्पत्तियां, परिसमापनाधीन/बीआईएफआर, निर्धारिती का पता न लगना, न्यायालयों/आईटीएटी/आईटी प्राधिकरणों द्वारा स्थगित मांग, बेमेल टीडीएस/पूर्व भुगतान किए गए कर इत्यादि, जिनके कारण मांग की वसूली दुष्कर हो

गई, का विश्लेषण किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग द्वारा 'वसूली हेतु दुष्कर' वर्गीकृत मांग में मुख्यतः चालू वर्ष की मांग की बकाया राशि शामिल थी।

1.10 मुकदमेबाजी प्रबंधन

1.10.1 नीचे तालिका 1.13 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.13: सीआईटी (ए) द्वारा अपील के मामलों का निपटान					
वित्तीय वर्ष	निपटान के लिए उपलब्ध अपील मामले	निपटाए गए अपील मामले	लंबित अपील मामले	प्रतिशतता में लम्बन	अपील मामलों में अवरुद्ध राशि
	(संख्या लाख में)			(₹ करोड़ में)	
2015-16	3.53	0.94	2.59	73.3	5,16,250
2016-17	4.08	1.18	2.90	71.1	6,11,227
2017-18	4.25	1.21	3.04	71.7	5,18,647
2018-19	4.62	1.23	3.39	73.4	5,62,806
2019-20	5.57	0.99	4.58	82.2	8,83,331

स्रोत: सीबीडीटी

1.10.2 वि.व. 2019-20 में सीआईटी (अपील) के पास अपील मामलों में अवरुद्ध राशि भारत सरकार के राजस्व घाटे से अधिक है।

1.10.3 निम्न तालिका 1.14, वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 के दौरान आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील मामलों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.14: आईटीएटी/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित अपील								
वित्तीय वर्ष	आईटीएटी		उच्च न्यायालय		सर्वोच्च न्यायालय		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
(₹ करोड़ में)								
2015-16	32,834	1,35,984	32,138	1,61,418	5,399	7,092	70,371	3,04,494
2016-17	37,968	1,43,771	38,481	2,87,818	6,375	8,048	82,806	4,39,637
2017-18	37,353	2,34,999	39,066	1,96,053	6,224	11,773	82,643	4,42,825
2018-19	92,205	उ.न.®	38,539	1,36,465	4,425	74,368#	1,35,169	2,10,833
2019-20	88,016	उ.न.®	31,745	3,09,237	4,526	उ.न.®	1,24,287	3,09,237

स्रोत: सीबीडीटी;

@ विभाग के साथ-साथ निर्धारित द्वारा आईटीएटी और सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपीलों के संबंध में राशि उपलब्ध नहीं है।

निर्धारितियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपीलों के संबंध में राशि उपलब्ध नहीं है

1.10.4 सीबीडीटी ने, 2019 के अपने परिपत्र संख्या 17 दिनांक 8 अगस्त 2019 के माध्यम से विभाग द्वारा आईटीएटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा को क्रमशः ₹ 20 लाख से ₹ 50 लाख, ₹ 50 लाख से ₹ एक करोड़ और ₹ एक करोड़ से ₹ दो करोड़ तक बढ़ा दिया। कुल लंबित मामले वि.व. 2018-19 में 1.35 लाख से वि.व. 2019-20 में 1.24 लाख हो गए अर्थात् मामलों में 8.1 प्रतिशत की मामूली कमी हुई थी।

1.11 कर अपवंचन

1.11.1 तलाशी एवं जब्ती²⁴ तथा सर्वेक्षण²⁵, साक्ष्य संग्रहण तंत्रों में से एक है जो कि उन मामलों में प्रयुक्त होते हैं जहां कर-अपवंचन के बारे में विश्वसनीय सूचना आयकर विभाग के अधिकार में होती है। निम्न तालिका 1.15, वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 तक के दौरान किए गए तलाशी एवं जब्ती अभियानों तथा सर्वेक्षण और स्वीकृत/पता लगाई गई अप्रकटित आय को दर्शाती है।

तालिका : 1.15 तलाशी और जब्ती और सर्वेक्षण के मामलों की स्थिति				
वित्तीय वर्ष	तलाशी किए गए समूहों की संख्या	स्वीकार की गई अप्रकटित आय (तलाशी और जब्ती में)	किए गए सर्वेक्षणों की संख्या	पता लगाई गई अघोषित आय (सर्वेक्षणों में)
				(₹ करोड़ में)
2015-16	447	11,226	4,428	9,700
2016-17	1,152	15,497	12,526	13,716
2017-18	577	15,913	13,487	9,634
2018-19	983	18,594	15,401	16,126
2019-20	984*	10,370*	12,720	22,244

स्रोत: इन्वेस्टिगेशन विंग, सीबीडीटी; * अनंतिम

1.11.2 वि.व. 2019-20 के दौरान, वि.व. 2018-19 से संबंधित आकड़ों की तुलना में तलाशी तथा जब्ती के दौरान स्वीकृत की गई अप्रकटित आय 44.2 प्रतिशत तक कम हुई तथा सर्वेक्षण के दौरान पता लगाई गई अप्रकटित आय 37.9 प्रतिशत तक बढ़ी।

24 किसी भी अघोषित आय या कीमती वस्तुओं का पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी एवं जब्ती की जाती है।

25 किसी भी सूचना को एकत्र करने के लिए अधिनियम की धारा 133ए और 133बी के तहत सर्वेक्षण किया जाता है, जो आयकर विभाग के लिए कर अपवंचन रोकने में उपयोगी हो सकता है।

1.12 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.12.1 आंतरिक लेखापरीक्षा, विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संसाधित किए जा रहे हैं। आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा ने वि.व. 2018-19 में लेखापरीक्षित 1,62,467 मामलों के प्रति वि.व. 2019-20 में 1,62,509 मामलों की लेखापरीक्षा पूर्ण की।

1.12.2 नीचे तालिका 1.16 वि.व. 2015-16 से वि.व. 2019-20 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए उठाई गई, निपटान की गई और लंबित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है।

तालिका : 1.16 आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण								
वित्तीय वर्ष	अथ शेष [^]		वृद्धि		निपटान		लम्बन	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
(₹ करोड़ में)								
2015-16	19,137	8,023	13,148	6,463	12,891	2,205	19,394	12,281
2016-17	19,405	12,283	12,972	2,451	11,256	3,352	21,121	11,382
2017-18	21,129	11,295	13,297	2,562	9,062	1,283	25,364	12,575
2018-19	25,408	12,602	16,975	3,147	11,847	4,334	30,536	11,415
2019-20	31,024	11,388	14,887	4,088	10,084	1,206	35,827	14,270

स्रोत: आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखापरीक्षा); [^]मार्च को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही विवरण के प्रस्तुतीकरण के बाद संबंधित सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सत्यापन के बाद संशोधित आंकड़े।

1.12.3 वि.व. 2018-19 में 7,818 मामलों में से 1,923 मामलों (24.6 प्रतिशत) की तुलना में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 9,164 मुख्य आपत्तियों के मामलों²⁶ में से निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने, वि.व. 2019-20 में केवल 1,469 मामलों (16.0 प्रतिशत) पर कार्य किया। एओ द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

26 2017 के निदेश सं 6 दिनांक 21.7.2017 के अनुसार, मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की मौद्रिक सीमा को ₹ दो लाख से 10 लाख तक बढ़ा दिया गया है।